भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

अभिगम सेवा स्कंध

20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.16-10/2020/एएस-III/लघु कोड/14/98

दिनांक: 06/04/2022

सेवा में,

सभी अभिगम सेवा प्रदाता।

विषय:- शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को लघु कोड '1533' का अवंटन करने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग की सेवाओं के सुगम कार्यकरण के लिए लघु कोड '1533' का आवंटन किया जाता है। इस लघु कोड में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी:

(i) श्रेणी-I: सेवा (अर्थात सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली सेवा)

(ii) अभिगम्यता: सीमित अर्थात राज्य के अंतर्गत।

(iii) मीटर की जाने वाली सेवा: (दूरसंचार विभाग के इस अनुदेश के क्रम में जिस अभिकरण को लघु कोड आवंटित किया गया है के द्वारा जारी पृथक सूचना के आधार पर कॉल्ड पार्टी भुगतान अथवा कॉलिंग पार्टी भुगतान के रूप में वसूला जाए)।

2. सभी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

संचित कुमार गर्ग
06.04.2022

(संचित कुमार गर्ग)
एडीजी (एएस-III)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, यदि कोई हो तो, प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, ट्राई।
2. सीएमडी एमटीएनएल/सीएमडी बीएसएनएल।
3. डॉ. रजनीश दुबे अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को उनके दिनांक 04.04.2022 के पत्र सं 366/ए. एमयू.एस.एन.वीआई./2022 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ कि हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। नोडल अधिकारी वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएसए), एलएसए इकाई, संबन्धित राज्य/संघ राज्य प्रदेश से संपर्क करें।
4. निदेशक (पी एवं एन), डीजीटी (मुख्यालय), (जब कभी आवश्यक होगा संबंधित एलएसए फील्ड इकाई को संबंधित नोडल अधिकारी से और हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए टीएसपी से समन्वय करने को कहा जाए)
5. दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एक प्रति।